1. भोजा पिता भूरा जाति भील उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी लोडदा तह0 बिजौलियां जिला भीलवाडा
2. देबीलाल पिता नन्दा जाति भील उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी लोडदा तह0 बिजौलियां जिला भीलवाडा

..............अपीलार्थीगण

बनाम

1. विष्णु पिता काना जाति भील उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी लोडदा तह0 बिजौलियां जिला भीलवाडा
2. मांगी पुत्री काना जाति भील उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी लोडदा तह0 बिजौलियां जिला भीलवाडा
3. बदना पुत्री काना जाति भील मृतकः–
   3.1 भोजा पिता मोहन जाति भील उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी लोडदा तह0 बिजौलियां जिला भीलवाडा
   3.2 नानीराम पिता मोहन जाति भील उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी लोडदा तह0 बिजौलियां जिला भीलवाडा
   3.3 इन्द्रा पिता मोहन जाति भील उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी लोडदा तह0 बिजौलियां जिला भीलवाडा
   3.4 फोरी पिता मोहन पत्नि कैलाश जाति भील उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी लोडदा तह0 बिजौलियां जिला भीलवाडा
4. पाना पुत्री काना जाति भील मृतकः–
   4.1 लीला पुत्री रामा जाति भील उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी लोडदा तह0 बिजौलियां जिला भीलवाडा
   4.2 नटी पुत्री रामा जाति भील उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी लोडदा तह0 बिजौलियां जिला भीलवाडा
   43. बसंन्ती पुत्री रामा जाति भील उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी लोडदा तह0 बिजौलियां जिला भीलवाडा
5. नर्बदा पुत्री काना जाति भील उम्र नाबालिंग बबिलायत माता सोसर पत्नि काना भील वयस्क पेशा काश्त निवासी लोडदा तह0 बिजौलियां जिला भीलवाडा
6. सोसर पत्नि काना जाति भील उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी लोडदा तह0 बिजौलियां जिला भीलवाडा
7. फौरु पिता उगमा जाति भील उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी लोडदा तह0 बिजौलियां जिला भीलवाडा
8. शंकरलाल पिता उगमा जाति भील उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी लोडदा तह0 बिजौलियां जिला भीलवाडा
9. पारी पिता उगमा जाति भील उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी लोडदा तह0 बिजौलियां जिला भीलवाडा
10. ग्राम पंचायत भोपतपुरा मार्फत सचिव ग्राम पंचायत भोपतपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

..........रेस्पोडेंटस

उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां (भीलवाड़ा)

उपस्थितः–

धनश्याम धाकड अधिवक्ता अपीलांट

अपील विरुद्व नामान्तरकरण संख्या 161 दिनांक 15.06.1979 मौजा ग्राम बांका पर पारित आदेश ग्राम पंचायत भोपतपुरा को निरस्त कराये जाने बाबत

अपील नामान्तरकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है अपीलार्थीगण ने अपील विरुद्व रेस्पोडेंट नामान्तरकरण संख्या–161 पर ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश 15.06.1979 को निरस्त करने हेतु अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई। अपील इस न्यायालय में पंजीबद्व कर सुनवाई प्रारम्भ की गई। ग्राम लोडदा (बिजौलियां कला) में वर्तमान खाता संख्या 100 की आ0नं0 586 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा, आ0नं0 587 रकबा 2 बीघा, आ0नं0 611 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 16 बीघा 7 बिस्वा भूमि रेस्पोडेंटस के नाम पर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। भूमि पूर्व में भूरा पिता भैरु भील के नाम पर दर्ज थी एंव भूरा का पारिवारीक सजरा निम्न प्रकार था:–

भूरा

कानाफोंत — रेस्पोडेन्ट 1 से 6

उगमा–फोत — रेस्पोडेन्ट नं0 7 से 10

भोजा

नन्दा–फोत — देबीलाल — अपीलार्थी

भूरा पिता भैरु भील की मृत्यू के बाद ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण संख्या161 दिनांक 15.06.1979 को खोला गया। उक्त नामान्तरकरण में नन्दा को भूरा का वारिस नही बताया गया एंव भोजा को बाहर रहने की वजह से भूरा का वारिस नही माना गया जबकि भूरा की मृत्यू के बाद विरासत से खाता भूरा के चारो पुत्रों के नाम पर खोला जाना चाहीये था। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा भूरा के वारिसान की बिना कोई जानकारी प्राप्त किए ही उक्त गलत नामान्तरकरण राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर लिया गया जिसकी वजह से अपीलार्थी अपने विधिक अधिकारो से वंचित हो गये। ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरुद्व नामान्तरकरण दर्ज किया गया है चुकी नन्दा भूरा का पुत्र था एंव भोजा के बाहर रहने से उसके किसी प्रकार के विधिक अधिकार जो उसे विरासत से प्राप्त होने वाले थे उस पर कोई फर्क नही पडता था फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा गलत नामान्तरकरण दर्ज किया गया जो अपीलार्थी के मुकाबले प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी होकर निरस्त होने योग्य है। भोजा अपीलार्थी मजदूरी हेतु बाहर रहने की वजह से व देबीलाल नाबालिग होने की वजह से एंव उसके पिता नन्दा की मृत्यू होने की वजह से उक्त अवैध नामान्तरकरण की जानकारी अपीलार्थी को नही हो सकी। अपीलार्थी द्वारा राजस्व कैम्प के दौरान बटवाडा कराने हेतु राजस्व रिकार्ड प्राप्त किया तब सर्वप्रथम अपीलार्थी को उक्त अवैध नामान्तरकरण की जानकारी प्राप्त हुई। उक्त नामान्तरकरण अपीलार्थी के विरुद्व शुरु से ही शून्य प्रभावी होने से अपीलार्थी पर परिसीमा अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है, फिर भी अपीलार्थीगण द्वारा अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र अलग से पेशकर अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 161 दिनांक 15.06.1979 जो ग्राम भोपतपुरा द्वारा स्वीकार किया गया उसे निरस्त फरमाया जावे एंव अपीलार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां(भीलवाड़ा)

अपील दर्ज रजिस्टर करवाई जाकर रेस्पोडेंट की तलवी जरिये नोटिस मय अपील मेमो भेज करवाई गई।

प्रार्थीगण की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया है कि ग्राम पंचायत भोपतपुरा द्वारा जो नामान्तरकरण खोला गया है वो प्रार्थीगण के विरुद्व शुरु से ही शून्य प्रभावी है व प्रार्थीगण को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी पूर्व में नही थी। जानकारी राजस्व कैम्प के दौरान हुई है उसके बाद से राजस्व रिकार्ड प्राप्त कर जानकारी से ही उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है। उक्त अपील को अन्दर अवधि में शुमार किया जाना आवश्यक है अन्यथा प्रार्थीगण अपने विधिक अधिकारों से

अपीलार्थी ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है स्थगन प्रार्थना पत्र अपील का झूझ हिस्सा है। ग्राम पंचायत भोपतपुरा द्वारा इंतकाल संख्या 161 दिनांक 15.06.1979 विधि विरुद्व बिना वारिसो की जानकारी के अवैध तरीके से खोला गया है जो अपीलार्थी के विरुद्व प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी है, क्योकि प्रार्थीगण भूरा पिता भैरु के प्रथम श्रैणी के विधिक अधिकारी है। उक्त अवैध नामान्तरकरण की वजह से विपक्षीगण अवैध लाभ कमाने की नियत से उक्त भूमि का रहन विक्रय एंव प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल कर सकते है इसलिए प्रार्थीगण के विधिक अधिकारो की रक्षा हेतु विपक्षीगण के विरुद्व स्थगन आदेश प्रदान किया जाना विधि एंव न्याय संगत है।

अपीलार्थीगण द्वारा अपील मेमो के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये है जो निम्न प्रकार है:- 1. नामान्तरकरण संख्या 161 मौजा ग्राम बांका, 2. वारिस प्रमाण पत्र की फोटोप्रति 3. जमांबदी सम्वत् 2031 से 2034, 4. नामान्तरकरण संख्या 97 मोजा ग्राम लोडदा, 5. मौजा ग्राम लोडदा चालु जमांबदी 2068 से 71 खाता संख्या 100 आदि।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सूनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र करते हुये निवेदन किया कि नामान्तरकरण निर्णित करते वक्त भूरा के वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया है। भोजा भूरा का पुत्र है। भूरा की सम्पती में भोजा का भी हक अधिकार बनता है। नामान्तरकरण पर पारित आदेश निरस्त फरमा अपीलांट का नाम भी जोडा जावे। अपील स्वीकार कराना फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया लिखित बहस पर मनन किया ।

अपीलार्थी ने ग्राम बांका के नामान्तरण संख्या 161 पर ग्राम पंचायत भोपतपुरा द्वारा पारित आदेश 15.06.1979 के विरुद्व अपील प्रस्तुत की है ग्राम पंचायत द्वारा अपीलार्थी को व वादग्रस्त भूमि में पक्ष रखने वाले आवश्यक पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया है न्याय के नेसर्गिक सिद्वान्तो का उलग्न हुआ है। नामान्तरण पर पारित आदेश अपास्त योग्य है। प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः अपील अपीलांट नामान्तरकरण स्वीकार किया जाता है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम बांका के नामान्तरकरण संख्या 161 पर पारित आदेश ग्राम पंचायत भोपतपुरा दिनांक 15.06.1979 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बिजौलियां को रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर नामान्तरकरण पुनः निर्णित करे। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 15.06.2018 को मुकाम लिखा जाकर सुनाया गया पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

15/06/18

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां (केम्प भोपतपुरा)
राजस्व लोक अदालत